न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/11/25 पत्रावली आज प्रा. पत्र पर दि. 15/12/25 से तलब होकर आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी के निवेदन पर दावा वादी की कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के निवेदन पर दावा वादी की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दुरुस्ती जमा रिकार्ड मन्जूर है। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

मुन्शीराम गुर्जर बनाम अशोक कुमार
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/184/2025

25.11.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 689 हाल खसरा नम्बर 1739/0.20, 1745/0.13, 1771/0.36, 1772/0.05 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर से वादी व प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य न करें। ना ही वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी खाता संख्या 689 हाल खसरा नम्बर 1739/0.20, 1745/0.13, 1771/0.36, 1772/0.05 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। **अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित हाल *आराजी खाता संख्या 689 हाल खसरा नम्बर 1739/0.20, 1745/0.13, 1771/0.36, 1772/0.05 है0 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर* में आगामी तारीख पेशी तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। ना ही उभय पक्षकारान किसी को भी बेचान/लीज डीढ/ हकत्याग/ उपहार/ दान/ हस्तान्तरण पर भी प्रतिबंधित रहेगा।** प्रार्थीगण को निर्देशीत किया जाता है कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से प्रार्थना पत्र की प्रति के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण को एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (3) के प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त अन्तरिम आदेश को आयन्दा/आगामी तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को संशोधन/वैकेट कर दी जावेगा। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 15/12/2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेशों की पालना के आदेशों, विधुत कनेक्शन व लाईन डालने तथा न्यायालय में विचाराधीन राको–रोडा व अन्य राजकिय वसुली के प्रकरणों में व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के क्रम में लागू नही होगी।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	28/11/25 पत्रावली आज मूलवाद के साथ 15/12/25 से तलब होकर पेश हुई। मूलवाद की कार्यवाही ड्रोप होने के कारण प्रा. पत्र की कार्यवाही भी ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद सलग्न है। SDO